

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015

/राँची, दिनांक: 07/12-20 ५-११

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्नु, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत काँची वीयर योजना के बारण्डा शाखा नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर H/R एवं C/R गेटों, इम्बेडेड पार्ट्स, उत्तोलन प्रणाली आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 46.13 लाख (रुपये छियालिस लाख तेरह हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

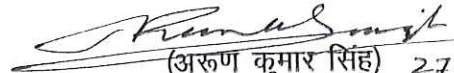
आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत काँची वीयर योजना के बारण्डा शाखा नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर H/R एवं C/R गेटों, इम्बेडेड पार्ट्स, उत्तोलन प्रणाली आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 46.13 लाख (रुपये छियालिस लाख तेरह हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अधीन निम्न कार्य प्रस्तावित है :-
 - (i) काँची वीयर योजना के बारण्डा शाखा नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर 4 अदद H/R Gate एवं 8 अदद C/R Gate का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।
 - (ii) उक्त गेटों का embedded parts, bottom seal एवं hoisting arrangement आदि का निर्माण।
 - (iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्य।
3. यह कार्य बजट शीर्ष :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-796- जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना -उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4. इन कार्यों को वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची होंगे।
6. राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.08.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
7. इस कार्य का समावेश वर्ष 2019-20 के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
8. झारखण्ड कोषागार संहिता नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
9. राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।
10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

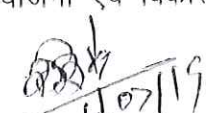
11. इस कार्य को वर्ष 2019-20 में प्रारंभ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
12. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
13. स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
15. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
18. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह) 27.6.19
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015 07/17-20 ५: ११/ राँची, दिनांक: 01.07.2017
प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015 07/17-20 ५: ११/ राँची, दिनांक: 01.07.2017
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

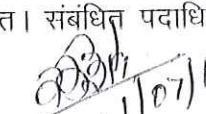
अनु०:-यथोक्त।


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015 07/17-20 ५: ११/ राँची, दिनांक: 01.07.2017

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-यथोक्त।


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015/17-20/19-20/राँची, दिनांक: 01.07.2017

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्र०स्वी०/34/2015 07/19-20/राँची, दिनांक: 01.07.2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।

अनु०:—यथोक्त।

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव